(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

पीठासीन अधिकारी– दमयंती कंवर आर.ए.एस.

धर्मपाल पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)	–बनाम–	जगदीश प्रसाद पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू वगैरह।
किस्म मुकदमा –दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. ...75.... / 2021
		GCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
~~25.8.2021~~ 21/9/21	आज यह वाद वादी **धर्मपाल पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी चारा का बास तहसील नवलगढ** की ओर से वकील **श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया** द्वारा पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 29.09.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) दमयंती कंवर (R.A.S.) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़	
29/9/21	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दौर/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 8/10/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
8/10/21	पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत परसरामपुरा पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित व कथन किया कि दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने मे दोनो पक्षकारान सहमत है। राजीनामा पेश होने पर पक्षकारान तथा स्वीकार करने पर सत्यापित किया [illegible] से लिखित प्राप्त [illegible] खातेदार के स्थान पर धर्मपाल पुत्र कुशलाराम [illegible] का दर्ज किया जाना उचित बताया है। प्रकरण मे राजीनामा अनुसार व TSR रिपोर्ट के अनुसार वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।	धर्मपाल रामपाल जगदीशप्रसाद (हस्ताक्षर) सुमन [illegible] शिविर [illegible] प्रशासन गांवों के संग अभियान [illegible] उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:45 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः वादी उक्त प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा दा लीटे TBR चाहे उनके अनुतोष अनुसार स्वीकार किया जाता है। डिक्री पृथक से जारी कर [illegible] वाद पत्र निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार [illegible] के मुताबिक आदेश रिपोर्ट रिकॉर्ड मे अमल-दरामद करने का आदेश किया जाता है। निर्णय आज कैम्प मे सुनाया गया पक्षकारों [illegible] कुमार [illegible] से समझे बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।

सुमन सोनल RAS
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभि. 2021
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:45 IST
Reason: SelfAttested

2

ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : बाबत घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा सं0:– 75/21 (धर्मपाल वगै0 बनाम जगदीश वगै0)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 8/10/2021 निर्णयानुसार राजस्व ग्राम चापं का बास, पटवार हल्का परसरामपुरा मे स्थित भूमि ख.नं. 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2988, 2989, 2990, 2991, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002 कुल 16 कुल रकबा 3.8000 हे. मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे चाहे गये अनुतोष अनुसार वाद स्वीकार किया जाता है। वादपत्र निर्णय का भाग होगा। तहसीलदार मु. आदेश रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

जन.........–............... मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 8......माह10......... सन .2021 को जारी की गई।

सुमन सोनल RAS
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	.00	स्टाम्प अर्जी दावा	.00
वकालतनामा स्टाम्प	.00	स्टाम्प वकालतनामा	.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	.00	मुतफरिक मिजान	.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:45 IST
Reason: SelfAttested

15

Reader
जांच कर रिपोर्ट करें
31/8/24

न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय,
नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

1. धर्मपाल पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी ग्राम चारा का बास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)
2. रामगोपाल पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी ग्राम चारा का बास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

——— वादी

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी ग्राम चारा का बास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)
2. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं

—— प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड</u>

महोदय,

वाद वादीगण की ओर से निम्नलिखित अनुसार श्रीमान् जी की सेवामें पेश है :—

1. यह कि वाके ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0) की सरहद मे आराजी खसरा नम्बर 2963 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 2964 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा नम्बर 2965 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2966 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा नम्बर 2967 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 2968 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नम्बर 2969 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा नम्बर 2988 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 2989 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 2990 रकबा 0.9500 हैक्टर, खसरा नम्बर 2991 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 2998 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2999 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 3000 रकबा 0.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 3001 रकबा 0.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 3002

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:37:45 IST
Reason: SelfAttested

—— लगातार 2

रकबा 0.0900 हैक्टर कुल किता 16 कुल रकबा 3.8000 हैक्टर स्थित है । उक्त आराजी को आगे वाद पत्र मे नया खाता संख्या 151 की भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है एवं ग्राम परसरामपुरा की सरहद मे आराजी खसरा नम्बर 2746 रकबा 0.6100 हैक्टर स्थित है । उक्त आराजी को आगे वाद पत्र में नया खाता संख्या 112 की भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त आराजी वाद पत्र की विषयवस्तु है जिसके आगे वाद पत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है ।

2. यह कि उपरोक्त वाद पत्र की मद संख्या 1 मे दर्ज नया खाता संख्या 151 की आराजी मे वादीगण का बराबर – बराबर 1/12 – 1/12 हिस्सा था तथा 1/12 हिस्सा ही प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश प्रसाद का था । वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश प्रसाद से उसका 1/12 हिस्सा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2016 को क्रय कर लिया । उक्त विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजियन नवलगढ़ मे दिनांक 09.06.2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 385 मे पृष्ट संख्या 84 क्रम संख्या 2016001867 पर पंजिकृत हुआ है । इस प्रकार वर्तमान मे वादीगण का उपरोक्त नया खाता संख्या 151 की आराजी मे वादीगण का बराबर – बराबर 1/8 – 1/8 हिस्सा है। एवं नया खाता संख्या 112 की भूमि मे वादी संख्या 1 का हिस्सा 55/244 है । जिस पर उपरोक्त हिस्सेनुसार वादीगण मौके पर काबिज काश्त है । जिसका दावे मे कोई विवाद नही है ।

3. यह कि वाद पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित नया खाता संख्या 151 की आराजी मे वादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा एवं नया खाता संख्या 112 की आराजी मे वादी संख्या 1 का हिस्सा 55/244 धन्नाराम पुत्र कुशलाराम के नाम से दर्ज है जबकि वादी संख्या 1 का सही व वास्तविक [illegible]ल पुत्र कुशलाराम है । कुशलाराम के पुत्र वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] है । धन्नाराम नाम का कोई कुशलाराम के पुत्र नही है । धन्नाराम पुत्र कुशलाराम व धर्मपाल पुत्र कुशलाराम दोनो नाम वादी संख्या 1 के ही है । [illegible]नो नामो का एक ही व्यक्ति वादी संख्या 1 ही है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:45 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि वाद का वादीगण का वाद पत्र की मद संख्या 1 मे नया खाता संख्या 151 की आराजी मे 1/12 – 1/12 हिस्सा पूर्व से दर्ज है तथा वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश प्रसाद से उसका 1/12 हिस्सा जरिये रजिस्ट्र्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2016 को क्रय कर लिया है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी मे वादीगण का बराबर – बराबर 1/8 – 1/8 हिस्सा है । इसी अनुसार वादीगण का कब्जा काश्त है । इसलिए वाद पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित नया खाता संख्या 151 की आराजी मे वादीगण संख्या 1 जगदीश प्रसाद का नाम हजफ किया जाकर वादीगण प्रत्येक को 1/8 – 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है तथा नया खाता संख्या 112 की भूमि मे धनसिंह पुत्र कुशलाराम के स्थान पर वादी संख्या 1 धर्मपाल पुत्र कुशलाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जांना आवश्यक है । जिसके लिए उक्त वाद श्रीमान जी की सेवामें पेश है ।

5. यह कि उक्त आराजी मे वादी संख्या 1 का नाम धन्नाराम पुत्र कुशलाराम दर्ज रहने से वादी संख्या 1 को अपने परेशानियो का सामना करना पड़ता है वादी संख्या 1 के अन्य पहचान सम्बन्धित दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र , राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड व विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2016 आदि मे दर्ज है।

6. यह कि उक्त वाद राजस्व अभिलेख की दुरूस्ती व खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए वाद कारण हमेशा ही पैदा रहा है ।

7. यह कि वाद की विषयवस्तु वादग्रस्त आराजी ... हाजा के क्षेत्राधिकार मे स्थित है तथा दावे मे चाहा गया अनुतोष भूमि मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड का होने से उक्त दाद सुनने का मान्य अदालत हाजा को पूरा – पूरा क्षेत्राधिकार प्राप्त है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:45 IST
Reason: Self Attested

8. यह कि उक्त वाद 2/– रूपये कोर्ट फीस पर पेश है ।

9. अतः वाद पेशकर निवेदन है कि :–

(क) वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0) की सरहद मे आराजी खसरा नम्बर 2963 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 2964 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा नम्बर 2965 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2966 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा नम्बर 2967 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 2968 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नम्बर 2969 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा नम्बर 2988 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 2989 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 2990 रकबा 0.9500 हैक्टर, खसरा नम्बर 2991 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 2998 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2999 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 3000 रकबा 0.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 3001 रकबा 0.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 3002 रकबा 0.0900 हैक्टर कुल किता 16 कुल रकबा 3.8000 हैक्टर मे वादीगण प्रत्येक को 1/8 – 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश प्रसाद व धन्नाराम पुत्र कुशलाराम का नाम हजफ किया जावें व खसरा नम्बर 2746 रकबा 0.6100 हैक्टर मे धनसिंह पुत्र कुशलाराम के स्थान पर धर्मपाल [illegible] वादी संख्या 1 को खातेदार क़ाश्तकार घोषित किया जावे ।

(ख) यह कि उपरोक्त अनुसार राजस्व अभिलेख मे अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जावे ।

––– लगातार 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:45 IST
Reason: SelfAttested